

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बलिया

संख्या १२/

दिनांक : अप्रैल 24, 2025

(प्रशासनिक अनुभाग)

विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्र संख्या 14/Admin. 'D' Section दिनांकित 15.10.2022 के अनुपालन में जनपद न्यायालय से सेवानिवृत्त कर्मचारीगण में से जनपद न्यायालय में रिक्त पदों के सापेक्ष पुनर्नियुक्ति किये जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। उक्त के अनुक्रम में न्यायिक प्रतिष्ठान, बलिया से सेवानिवृत्त कर्मचारीगण में से ऐसे कर्मचारीगण जिनकी आयु 65 वर्ष पूर्ण न हुई हो एवं दिनांक 01.05.2025 के अन्दर सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारीगण को एक वर्ष की अवधि के लिए (यदि पूर्व में ही समाप्त न कर दी जाये अथवा प्रोन्नति व माननीय उच्च न्यायालय, भर्ती प्रकोष्ठ, इलाहाबाद द्वारा भर्ती होने तक अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर) पुनर्नियुक्ति किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किया जाता है।

अधोलिखित तालिकानुसार रिक्त पदों का विवरण दिनांक 01.05.2025 के अनुसार निम्नवत है :-

क्रम संख्या	पद का नाम	रिक्त पद
1.	प्रधान सहायक	01
2.	वरिष्ठ सहायक	81
3.	कनिष्ठ सहायक	17
4.	पेड अप्रेंटिस	04
5.	आशुलिपिक ग्रेड- तृतीय	06
6.	दफ्तरी	07
7.	प्रासेस सर्वर	05
8.	अर्दली / प्यून / कार्यालय प्यून / फर्श	24
9.	चौकीदार / वाटरमैन / स्वीपर / माली / कुली / भिस्ती / लिफ्टमैन	02
कुल योग		147

नोट :-

कुल 147 पदों हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही है।

जनपद न्यायालय, बलिया में कर्मचारियों की अत्यधिक कमी, न्यायिक कार्य के सुगमता पूर्वक निर्वहन में कठिनाई के दृष्टिगत माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्र संख्या 14/Admin. 'D' Section दिनांकित 15.10.2022 के अनुपालन में तालिका में उल्लिखित श्रेणी के अनुसार, जनपद न्यायालय से सेवानिवृत्त ऐसे कर्मचारी जिनकी आयु 65 वर्ष पूर्ण न हुई हो, से आशुलिपिक, लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर पुनर्नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रारूप (संलग्न) पर आवेदक अपना आवेदन-पत्र, आयु प्रमाण-पत्र व स्वरथता प्रमाण-पत्र के साथ दिनांक 30.04.2025 को सायं 05:00 बजे तक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, के कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी के पास प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समय एवं तिथि के पश्चात प्राप्त हुए आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

पुनर्नियुक्ति हेतु साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनायी जायेगी। अभ्यर्थी दिनांक 01.05.2025 को साक्षात्कार हेतु प्रातः 10:00 बजे जनपद न्यायालय परिसर स्थित मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, के कार्यालय में उपस्थित होंगे। साक्षात्कार हेतु उपस्थित अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त पदों का वेतनमान सम्बन्धित पद पर आवेदक को मिलने वाले अन्तिम आहरित वेतन, जिसमें से पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व) घटाते हुए, समस्त भत्तों सहित, उत्तर प्रदेश शासन के आदेशों/नियमों के अधीन परिलब्धियां देय होंगी।

यह पुनर्नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के आदेश-निर्देश के अधीन होगी।

(पराग यादव)

सदस्य/चयन समिति
सिविल जज (सी0डि0)
बलिया।

(पुनीत कुमार गुप्ता)

सदस्य/चयन समिति
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0-1, बलिया

(अमित पाल सिंह)

अध्यक्ष/चयन समिति
जनपद न्यायाधीश,
बलिया।

जनपद न्यायालय, बलिया में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति के माध्यम से भरे जाने वाले रिक्त पदों पर
सेवायोजन के लिए आवेदन-पत्र।

(As per C.L. No. 14/Admin. 'D' Section Dated 15.10.2022)

आवेदित पद का नाम : आशुलिपिक/लिपिक/चतुर्थ श्रेणी

1. आवेदक का नाम :
2. पिता/पति का नाम : नवीनतम पासपोर्ट
3. जन्म तिथि : साइज फोटो
4. सेवानिवृत्ति की तिथि :
5. अन्तिम धारित पद एवं जनपद न्यायालय का नाम (जहां से सेवानिवृत्त हुए हैं)
.....
6. पी०पी०ओ० संख्या (छायाप्रति संलग्न करें) :
7. स्थायी पता :
8. अस्थायी पता :
9. मोबाईल नम्बर :
10. ई मेल आई०डी० :
11. शैक्षणिक योग्यता :

अण्डरटेकिंग

मैं इस आशय की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर रहा हूँ/कर रही हूँ कि मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ एवं जनपद न्यायालय, बलिया में आवेदित पद पर कार्य करने हेतु सक्षम हूँ। मेरे सेवाकाल में मेरी जानकारी के अनुसार मुझे कोई ऐसा दण्ड या प्रविष्टि नहीं दी गयी है, जिससे पुनर्नियुक्ति में बाधा हो। मेरे विरुद्ध कोई भी आपराधिक कार्यवाही लम्बित नहीं है।

मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि उपरोक्त सभी सूचनाएं मेरे निजी जानकारी में सही व सत्य हैं। यदि किसी भी समय उक्त सूचनाएं गलत या झूठी पायी गयी तो उसकी पूर्णरूपेण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी व इस सम्बन्ध में मेरे विरुद्ध की गयी कार्यवाही मुझे स्वीकार होगी। मैंने आवेदन सम्बन्धी सभी नियम/शर्तों का अवलोकन कर लिया है तथा सभी मुझे स्वीकार है।

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

See
9